

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाष्ण्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 38 / 2014 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :- 2014 / 00019

उनवान

शीला पुत्री रामलाल पत्नी सुरेश जाति जांगिड निवासी मौरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जगदीश(मृतक)
 - 1 / 1. जय शिव उम्र 11 वर्ष पुत्र जगदीश
 - 1 / 2. मोनिका उम्र 2 वर्ष पुत्री जगदीश
 - 1 / 3. संयुक्ता उम्र 34 वर्ष पत्नी स्व0 जगदीश जाति बाढई निवासी जरीला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. शान्ती वेवा हरविलास
3. ममता वेवा प्रीतम
4. गायत्री पुत्री हरविलास
5. मोहित उम्र 8 वर्ष } पुत्रान प्रीतम नाबालिग जरिये माता ममता पत्नी प्रीतम जाति बाढई निवासी
6. अमरेश उम्र 5 वर्ष } जरीला तहसील रूपवास।
7. मनोहरी पुत्र बदन सिंह जाति बाढई
8. नन्दन पुत्र लख्मी जाति बाढई
9. राधेश्याम पुत्र लख्मी जाति बाढई
10. पूरनदेई पत्नी अतर सिंह जाति जांगिड
11. राकेश पुत्र अतर सिंह जाति बाढई
12. ज्योति पुत्र अतर सिंह जाति बाढई } निवासी जरीला तहसील रूपवास, भरतपुर।
13. रेनू पुत्री अतर सिंह नाबालिग जरिये माता
14. गौरव } पुत्रान हरविलास जाति बाढई
15. भागीरथ }
16. रवी }
17. विक्रम }
18. श्रीमती पिकी पुत्री हरविलास पत्नी विजयराम जाति जांगिड निवासी पांच्या वाला जयपुर।
19. श्रीमती लक्ष्मी पुत्र हरविलास पत्नी नीतू जाति जांगिड निवासी नेकपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
20. श्रीमती सन्ता पुत्री रामलाल पत्नी शंकरलाल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अपीलाण्ट एवं रैस्पों संख्या 1/1 लगायत 1/3 की ओर से उनके अभिभाषक ने वक्त बहस राजीनामा पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। रैस्पों संख्या 02 लगायत 26 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये; अतः अपीलाण्ट व उपस्थित रैस्पों के तर्क सुने गये।
3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में सभी रैस्पों की तलवी के बाबजूद रैस्पों संख्या 02 लगायत 26 अनुपस्थित रहे हैं। न्यायालय में मात्र रैस्पों संख्या 01 के वारिसान, रैस्पों संख्या 1/1 लगायत 1/3 ही उपस्थित हुए हैं, जिनकी ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। अतः हम गुणावगुण पर विचार किये बिना मुताबिक राजीनामा अपीलाधीन अन्तरिम इकतरफा आदेश निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं पाते हैं एवं अपील स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त होते हैं।
4. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 05.06.2014 अपास्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली इस निर्देश के साथ वापस लौटाई जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय एक माह में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर0टी0एक्ट0 पर नियमानुसार सुनवाई कर अन्तिम निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
5. निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Web Copy - Not Official